राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 209/2023

डॉ. श्रीकांत शेटे **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, झालावाड़, चिकित्सा कॉलेज, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2023
आदेश की दिनांक : 13.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष के पद पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 09.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को फिजियोलॉजी विभाग के समस्त कार्य अपीलार्थी से कनिष्ठ के अधीन कार्यभार दे दिया गया है जबकि अपीलार्थी को फिजियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष पद से अस्थाई तौर पर हटाया गया है। अपीलार्थी वरिष्ठ आचार्य का पद धारी है और वह वर्ष 2021 में 2 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार नियुक्त किया गया है। आदेश दिनांक 03.12.2022 के अनुसार डॉ. हिमांशु शर्मा को आदेशित किया गया कि बैच 2021 की एम.बी.बी.एस. छात्राओं की दिनांक 10.12.2022 को थ्योरी परीक्षा होनी है। इससे संबंधित समस्त व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पादित करेंगे।

उनका कथन है कि अपीलार्थी फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष का पद धारी है, परंतु उसे राज्य सरकार के परिपत्र के विपरीत जाकर असक्षम अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है। अपीलार्थी ने डॉ. शशिकांत अग्रवाल के विरूद्ध विद्यार्थियों को परेशान करने के संबंध में एक शिकायत दी। परंतु सही कार्यवाही करने के बजाय डॉ. शशिकांत अग्रवाल के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए और अपीलार्थी को गैर तरीके से विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया गया।

अतः आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2023 (अनुलग्नक–1) व 09.01.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ आचार्य फिजियोलॉजी के विभागाध्यक्ष पद पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में यथावत कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ आचार्य, फिजियोलॉजी विभागाध्यक्ष के पद पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य